वित्तीय स्वीकृति 2021-22

संख्या-2/2022/589 /बावन-2-2022-13(बजट)/21

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2022**

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-800-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के "मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-145 वक्फ न्या0ल0/2021-22, दिनांक 01.02.2022, जो आपको पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित मद की अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-800-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 267.45 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की धनराशि रू0 133.725 लाख शासनादेश सं0-4/2021/804/-52-2-2021-13(बजट)/21 दिनांक 28, अप्रैल, 2021 द्वारा पूर्व में निर्गत की जा चुकी है, जिसमें प्रश्नगत "मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 12.50 लाख भी सम्मिलित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त लेखाशीर्षक उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के "मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" में प्राविधानित धनराशि 25.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त (50प्रतिशत) की धनराशि रू0 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसका विवरण निम्नवत है :-

लेखाशीर्षक- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-
800- अन्य व्यय-
03- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त	व्यय धनराशि	व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त की धनराशि
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	12.50	12.02686	0.47314	**12.50**

1- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

3- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

4 - उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण** के सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

संख्या- 589 (1)/बावन-2-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4
10- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in